

दिनांक: 20 सितम्बर 2020

## सूचना

कौशल विकास योजना के तहत संचालित विशेष परियोजनाओं तथा पूर्वानुभव को मान्यता कार्यक्रम फिर से चालू करने के लिए दिशा निर्देश

परियोजना क्रियाव्ययन एजेन्सियों के ध्यानार्थ

आशा है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस संदर्भ में उनका प्रपत्र 'संख्या-40-3/ 2020-डीएम-1 (ए), दिनांक 29 अगस्त 2020' देखा जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में कोविड-19 का संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी 8 सितंबर 2020 को मानक संचालन प्रक्रिया सुझाई हैं। इससे पूर्व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन के बाद कतिपय सावधानियां बरतते हुए प्रशिक्षण केंद्रों को पुनः खोलने को लेकर विशेष निवारक उपाय जारी कर चुका है। इस संदर्भ में मंत्रालय का प्रपत्र 'OM No.B12011/ 01/2016-SDE दिनांक 11 जून 2020' देखा जा सकता है। ये सभी निर्देश योजना के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इन घटनाक्रमों के मद्देनजर सभी परियोजना क्रियाव्ययन एजेन्सियों (पीआईए तथा एसपीआईए) को पूर्वानुभव को मान्यता कार्यक्रम तथा विशेष परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए अपने शिविरों, परिसरों, और प्रशिक्षण केंद्रों को 21 सितंबर 2020 से तैयार रहना चाहिए। इसके लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के भी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सभी परियोजना क्रियाव्ययन एजेन्सियों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के प्रति भी सचेत रहने की सलाह दी जाती है।

कृपया 21 सितंबर 2020 को अपने बैचों की स्थिति की जांच स्किल इंडिया पोर्टल पर जाकर आवश्यक कर लें। पूर्वानुभव को मान्यता और विशेष परियोजनाओं से संबंधित टीमों द्वारा आईटी से संबंधित कार्यों के लिए एक नोट सभी को भेजा जाएगा।

अपकी सुविधा के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिंक नीचे दिए गए हैं-

1. अनलॉक 4 दिशानिर्देश (अधिसूचना संख्या-40-3 / 2020-डीएम- 1 (ए) दिनांक 29 अगस्त 2020

[https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder\\_Unlock4\\_29082020.pdf](https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_Unlock4_29082020.pdf)

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया <https://www.mohfw.gov.in/pdf/FinalSOPonSkillinstitutions&PGInstitutes08092020.pdf>

3. प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने के संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का प्रपत्र MSDE OM No. B-12011/01/2016-SDE दिनांक 11 जून 2020

[http://pmkvyofficial.org/App\\_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-underPMKVY-2016-20.pdf](http://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-underPMKVY-2016-20.pdf)

हमें निरंतर समर्थन देने और अपने धैर्य का परिचय देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको किसी तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आप हमें इस मेल पर लिख सकते हैं

पूर्वानुभव को मान्यता कार्यक्रम के लिए [rplpmkvy@nsdcindia.org](mailto:rplpmkvy@nsdcindia.org)

विशेष परियोजना के लिए [specialprojectpmkvy@nsdcindia.org](mailto:specialprojectpmkvy@nsdcindia.org)